

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE, VAISHALI AT
HAJIPUR
L.A. No-14 of 2025

Saroj Devi & other

..... Applicant

Versus

Amarjeet Singh & other

.....O.P.

22.05.2026

आवेदिका की कोई पैरवी नहीं है। वाद पुकारा गया। बार-बार पुकार पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दिनांक-01.08.2025 प्रतिवेदित त्रुटी के निवारण हेतु लंबित चला आ रहा है। बार-बार स्पष्ट निर्देश के बावजूद आवेदिका ने त्रुटी निवारण हेतु आज तक कोई प्रक्रिया नहीं की जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक की वाद में अभिरुची समाप्त हो गई है। अतः वाद को आगे चलाना श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता है। यथा वाद अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

हर्षित सिंह)

प्रधान जिला न्यायाधीश